

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

8/12/21 फावली पेस (इई) वकील उममपक्ष के माफिक
शर्मा पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर उममपक्ष वकील
वहस पर मनन किया। शर्मा पत्र एवं संलग्न
दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। मूलवाद
के विधिवत निस्तारण तक पराधीन को वास्तविक
शर्मा के मौका व रिकार्ड की सहाय्यता बनाये
रखे जाने हेतु प्रतिबंधित किया जाना उचित
प्रतीत होता है। अतः उममपक्ष वहस पर मनन
करने एवं शर्मा पत्र व संलग्न दस्तावेजों के
अवलोकन के आधार पर प्रकरण में जारी
अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक
20.12.21 को मूल वाद के निमित्त तब
कन्फर्म किया जाता है। फावली फैसल सुमार
होकर वाद तत्काल समाप्त मूलवाद रहे।

अथ
उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (बीघा)